

प्ररूप-6

(नियम-4(1) देखिए)

(प्राधिकृत अधिकारी को तहसीलदार की सहमति/आक्षेप के लिए रूपविधान)

कार्यालय तहसीलदार.....

(तहसील और जिले का नाम)

दिनांक:

सं:

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी,

विशयः— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन गैर—कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा जारी किये जाने संबंधी.....
(आवेदक का नाम) के लिए सहमति रिपोर्ट।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक:.....दिनांक.....

महोदय,

नवीनतम राजस्व अभिलेख और स्थल निरिक्षण रिपोर्ट पर आधारित सहमति, विशय वस्तु में आपके द्वारा अग्रिम कार्रवाही के लिए अग्रेषित की जा रही है। विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विशिष्टियां	अभ्युक्तियां
1	आवेदक का नाम	
2	पिता / पति का नाम	
3	राजस्व अभिलेख में आवेदक का पता	
4	भूमि के ब्यौरे (क) भूमि का क्षेत्र (ख) खसरा संख्या (ग) राजस्व ग्राम	
5	भूमि किसी निर्बंधित प्रवर्ग में नहीं है	
6	किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश / व्यादेश भूमि के संबंध में परिवर्तन में नहीं है	
7	गैर—कृषिक परियोजना के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने की सिफारिश की जाती है।	

अतः, आपसे अनुरोध है कि आप राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन आदेश से कृपया सूचित करें ताकि भूमि का विहित कालावधि के भीतर स्थानिय प्राधिकारी के पक्ष में नामांतरण किये जा सकें।

या

मामले में समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता की यह राय है कि गैर—कृषिक परियोजना के लिए कृषि भूमि के उपयोग की वांछित अनुज्ञा आवेदक को निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जानी चाहिए:-

1.
2.
3.

तहसीलदार के हस्ताक्षर